झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
संकल्प

विषय :**राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) एवं ईन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण की स्वीकृति के संबंध में।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0–87(9) दि०–27.02.2017 द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) की वृत्तिका का निर्धारण एवं राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय के ईन्टर्नस की वृत्तिका का निर्धारण किया गया है।

2. शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) को विभागीय संकल्प सं0– 87(9) दिनांक– 27.02.2017 के क्रम में प्रतिमाह मासिक वृत्तिका की दर निम्नवत है :–

संस्थान का नाम	पदनाम	प्रति माह निर्धारित वृतिका की राशि
एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) – स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष	41,000
	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) – स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष	42,000
	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) – स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष	43,000
	जूनियर रेजिडेंटस एम0बी0बी0 एस0 (नॉन एकेडमिक)	41,000
पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद	जूनियर रेजिडेंटस एम0बी0बी0एस0 (नॉन एकेडमिक)	41,000

3. शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के जूनियर रेजिडेंटस को वृत्तिका के रूप में दी जा रही अनुमान्य राशि रिम्स, राँची एवं अन्य संस्थानों में समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे रेजिडेंटस से कम है। वर्त्तमान में एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में कार्यरत सभी जूनियर रेजिडेंटस द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरयुक्त आवेदन देते हुए अपनी वृत्तिका रिम्स, राँची के अनुरूप निर्धारित करने की माँग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 से पी0जी0 में अध्यनरत छात्रों को सम्प्रति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रतिमाह क्रमशः 50,000, 55,000 एवं 60,000 हजार रू0 मानदेय दिया जा रहा था। पुनः वर्ष 2020 से इनके मानदेय की राशि को पुनरीक्षित कर पी0जी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः 68,545, 75,399 एवं 82,938 हजार रू0 किया गया है।

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) का मानदेय बिहार सरकार एवं रिम्स, राँची की तुलना में कम है।

24 8(9)
11.5.23

4. अतः राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) को वर्त्तमान में दी जा रही मासिक वृत्तिका की वृद्धि निम्नवत की जाती है :–

संस्थान का नाम	पदनाम	पूर्व की मासिक वृतिका	स्वीकृत मासिक वृतिका
एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जमशेदपुर	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) – स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष	41,000	54,500
	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) – स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष	42,000	58,500
	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) – स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष	43,000	63,000
	जूनियर रेजिडेंटस एम0बी0बी0 एस0 (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद	जूनियर रेजिडेंटस एम0बी0बी0एस0 (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
फुलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका	जूनियर रेजिडेंटस एम0बी0बी0एस0 (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पलामू	जूनियर रेजिडेंटस एम0बी0बी0एस0 (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग	जूनियर रेजिडेंटस एम0बी0बी0एस0 (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500

5. यह मानेदय उन्हीं जूनियर रेजिडेंटस चिकित्सकों (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) को देय होगा, जो निजी प्रैक्टिस नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र समर्पित करेंगे। यह भुगतान सबंधित मद से सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

6. विभागीय संकल्प सं0–87(9) दिनांक–27.02.2017 द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के ईन्टर्नस को वृतिका 15,000/– रूपये प्रतिमाह दी जा रही है।

वर्ष 2017 के बाद मंहगाई में वृद्धि को देखते हुए राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, के ईन्टर्नस को वर्त्तमान में दी जा रही मासिक वृत्तिका की वृद्धि निम्नवत की जाती है :–

संस्थान का नाम	पूर्व की मासिक वृतिका	स्वीकृत मासिक वृतिका
एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर	15,000	17,500
शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद	15,000	17,500
शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हजारीबाग	–	
मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पलामू	–	
फुलो–झानों चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका	–	

यह भुगतान योजना/गैर योजना मद से संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

7. विभागीय संकल्प सं0– 87 (9) दिनांक–27.02.17 द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में इर्न्टनशीप कोर्स पूरा होने के पश्चात् जूनियर रेजिडेंटस (नॉन एकेडमिक) को आवेदन देने के लिए निर्धारित दो वर्ष की अवधि को बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रावधान यथावत् बनाये रखा जाता है।

8. वृत्तिका का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत **शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद** हेतु मुख्य शीर्ष– 2210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – उप मुख्य शीर्ष –01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ – एलोपैथी – लघु शीर्ष –110– अस्पताल तथा औषधालय – उपशीर्ष –05– पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, धनबाद – विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–50– छात्रवृत्ति / वजीफा,

एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर हेतु मुख्य शीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– उप मुख्य शीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–32–एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर–01–एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–50–छात्रवृत्ति / वजीफा तथा मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– उप मुख्य शीर्ष– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाए– एलोपैथी– लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष– 85– एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान– 50– छात्रवृत्ति / वजीफा,

<u>गैर योजनान्तर्गत</u>

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग हेतु मुख्य शीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–61–हजारीबाग मेडिकल अस्पताल–06– अनुदान–50– छात्रवृत्ति / वजीफा,

मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू हेतु मुख्य शीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–59–पलामू मेडिकल अस्पताल–06– अनुदान–50– छात्रवृत्ति / वजीफा,

फुलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका हेतु मुख्य शीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–60–दुमका मेडिकल अस्पताल–06– अनुदान–50– छात्रवृत्ति / वजीफा से विकलनीय होगा।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संलेख ज्ञापांक संख्या–98(9)दिनांक–21.02.2023 के क्रम में दिनांक–27.04.2023 की बैठक में मद सं0–10 में दी गई है।

आदेश–इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियॉ सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

241(9) 11.5.23

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

9.5.23

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं0:– 9/चि0महा0– 07--21/2012 248(9) /राँची, दिनांकः–11.5.23

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची /अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 9/चि0महा0–07–12/2019 248(9) स्वा0/राँची, दिनांकः 11.5.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची /सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/ विकास आयुक्त/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड/ योजना सह वित्त विभाग/ विधि (न्याय) विभाग/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 9/चि0महा0–07–12/2019 248(9) स्वा0/राँची, दिनांकः 11.5.23

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियान निदेशक, झारखण्ड, रांची/ निदेशक, रिम्स, राँची/ निदेशक, रिनपास, काँके, राँची/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल, जमशेदपुर/शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद/ शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग/फुलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका/मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पलामू / सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/सभी सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव